

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष— हीरा देवी पति श्री कार्तिक लोहरा बगैरह।

बनाम

वाद सं०


03/2021

द्वितीय पक्ष— बुधु उरॉव उम्र 57 वर्ष पिता स्व० भोला उरॉव बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1/10/21	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 01/2021 दिनांक 14/01/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) हीरा देवी पति श्री कार्तिक लोहरा (2) कार्तिक लोहरा उम्र 55 वर्ष पिता स्व० चारो लोहरा सभी सा० बागेसेरा थाना पालकोट बनाम (1) बुधु उरॉव उम्र 57 वर्ष पिता स्व० भोला उरॉव (2) बुधनी उरॉव उम्र 55 वर्ष पति बुधु उरॉव (3) बसंमी कुमारी उम्र 19 वर्ष पिता बुधु उरॉव (4) विनय उरॉव उम्र 25 वर्ष पिता फागु उरॉव (5) बहुरा उरॉव उम्र 25 वर्ष पिता खड़िया उरॉव सभी सा० बागेसेरा थाना पालकोट जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर आपसी तनाव संबंधी विवाद को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उभय पक्षों के बीच शांति भंग नहीं होने एवं वाद की कार्रवाही की समय अवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p>	

लेखापित ।




अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया।